(16)

निग0 5986/2018/रीवा/भू-रा0

श्री मान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0 प्र0

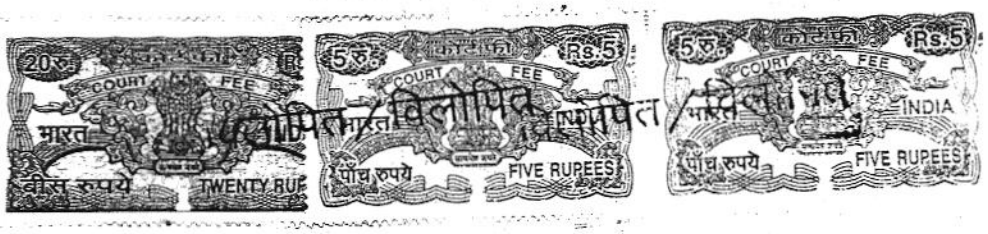

1- श्री मती बड़कीबा पत्नी श्री स्व0 छकौड़ी उम्र 62 वर्ष , पेशा खेती व घरूकाम,
2-दिनेश सेन तनय श्री स्व0 छकौड़ी सेन उम्र 32 वर्ष पेशा खेती,
3-शान्ती पत्नी श्री रामबिलाश सेन पुत्री श्री छकौड़ी सेन उम्र 42 वर्ष, पेशा खेती व घरूकाम
4- श्री मती छोटी पत्नी श्री रामसुन्दर सेन उम्र 58 वर्ष, पेशा खेती, व घरूकाम,
5- कन्छेदी तनय श्री रामसुन्दर सेन उम्र 32 साल, पेशा खेती,
6- बाबूलाल तनय श्री स्व0 हनुमान सेन उम्र 55 साल, पेशा खेती,
7- श्री मती नर्वदिया पत्नी श्री स्व0 बेनीमाधवसेन, उम्र 70 वर्ष, पेशा खेती,
उक्त सभी निवासीग्राम मद्धेपुर तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0

----अपीलान्ट गण

बनाम

मुन्ना सेन तनय श्री स्व0 बड़का सेन उम्र 45साल, निवासी ग्राम मद्धेपुर तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0

----रेस्पा0

अधि0श्री दिनेश पटेल
द्वारा पेश 24-9-18

निगरानी बिरुद्ध आदेश श्री अपर आयुक्त महोदय रीवा जिला रीवा रा0 अपील क0 1307 अपील/ 2012-2013आदेश दिनांक 07 /06/ 2018 मुताबिक धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सहिता सन्1959ई0

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
सर्किट कोर्ट रीवा
माध्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है।

1-यह कि अधी0 अधिकारी का आदेश बिधि एवं प्रकिया के बिरुद्ध है।

02- यह कि अनावेदक अधी0 न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी प्रभारी हुजूर जिला रीवा के न्यायालय में अंशतःअपील मात्र आ0 नं0 363रकवा 0.117हे0,एवं 368 रकवा0.053हे0 स्थित ग्राम मद्धेपुर तहसील हुजूर जिला रीवा के 1/2 हिस्से के सम्वन्ध में किया था शेष रकवे व आराजी नं0 के सम्वन्ध में कोई बिरोध अपील मेमो एवं अपने द्वारा प्रस्तुत लिखित अन्तिम तर्क में नही किया हैजिससे सिर्फ बिबाद दो किता आराजियात आ0 नं0 363 एवं 368 के 1/2 हिस्से सम्वन्ध में ही बिबाद मानकर की गई थी जिससे ~~निम्नतो~~ अधी0 न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश को कुल भूमियो के सम्वन्ध में निरस्त नही कर सकती थी

(16)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0–5986/2018/रीवा/भू–रा0 जिला– रीवा

बडकिवा वगैरः/ मुन्ना सेन

| (1) | (2) |
|---|---|
| 18.12.18 | 1. आवेदक की ओर से श्री हीरालाल पटेल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1307/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 24.09.18 प्रस्तुत की गयी है।<br>2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।<br>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।<br>सदस्य |